भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6145
बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के लाभार्थी

6145. श्री अब्दुल रशीद शेखः

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें इनके अंतर्गत लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत, जिसे फरवरी, 2024 से कार्यान्वित किया जा रहा है, दिनांक 25.03.2026 की स्थिति के अनुसार, 32.94 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। पीएम कुसुम के तहत, दिनांक 28.02.2026 तक, घटक ख के अंतर्गत 10.26 लाख से अधिक सौर कृषि पंप स्थापित किए गए हैं, और घटक ग के अंतर्गत 13.54 लाख से अधिक ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों को सौरीकृत किया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA JGUA) के तहत नई सौर ऊर्जा योजना [आदिवासी और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (PVTG) बस्तियों/गाँवों के लिए] के अंतर्गत, दिनांक 28.02.2026 तक, 11,106 परिवारों को सौर ऑफ-ग्रिड प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकृत किए जाने की सूचना है।

अनुलग्नक-I

'नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के लाभार्थी' के संबंध में पूछे गए दिनांक 01.04.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 6145 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

चल रही प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा (RE) योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

1. पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) फरवरी, 2024 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर प्रणाली लगाना है। इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

2. पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम), जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयत्र स्थापित करना, स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप लगाना, और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना (सौरीकरण) है; इसमें फीडर-स्तर पर सौरीकरण भी शामिल है। इस योजना से न केवल किसानों को, बल्कि राज्यों और डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) को भी लाभ मिलता है। इस योजना के 'घटक-क' के तहत 10,000 MW क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयत्र लगाने का लक्ष्य है, और 'घटक-ख' तथा 'घटक-ग' के तहत 49 लाख कृषि पंपों को लगाने/सौरीकृत करने का लक्ष्य है। इसके लिए 34,422 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) का परिव्यय निर्धारित है।

3. सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास की योजना, जिसका लक्ष्य 40,000 MW क्षमता स्थापित करना है। इस योजना के तहत, सभी ज़रूरी मंज़ूरियों/अनुमोदनों के साथ ज़मीन, सड़कें, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएँ जैसे बुनियादी ढाँचे विकसित किए जाते हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में बड़े पैमाने पर सोलर परियोजनाओं के तेज़ी से विकास में मदद करती है। इस योजना में 40,000 MW की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के तौर पर 8,100 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

4. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना): यह योजना सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक (PV) विद्युत परियोजनएं स्थापित करने के लिए है। इसमें स्वदेशी स्तर पर निर्मित सोलर PV सेलों और मॉड्यूलों का उपयोग किया जाता है, और इसे 'व्यवहार्यता अंतराल निधि' (VGF) की सहायता प्राप्त होती है। इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली का उपयोग या तो स्वयं के लिए किया जाता है, या फिर सीधे तौर पर अथवा वितरण कंपनियों (DISCOMS) के माध्यम से सरकार/सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत सरकारी संस्थाओं द्वारा 12 GW क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसके लिए CFA के तौर पर 8,580 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

5. उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना - "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम": इस योजना का उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सोलर PV मॉड्यूल के क्षेत्र में 'गीगा वॉट' (GW) स्तर की विनिर्माण क्षमता हासिल करना है (भाग-I और II)। इस योजना के तहत उच्च दक्षता वाले सोलर PV मॉड्यूल की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत विनिर्माण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसके लिए CFA के तौर पर 24,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

6. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) चरण I और II: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय (इंट्रा-स्टेट) पारेषण प्रणाली तैयार करना।

7. कुल 7453 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, 'अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधि (VGF) योजना', जिसमें 1 GW अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु के तट से दूर प्रत्येक 500 MW) की स्थापना और चालू करने के लिए 6853 करोड़ रुपये का CFA परिव्यय, और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन हेतु 600 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है।

8. राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम:

- अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम: शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्यक्रम। CFA परिव्यय: 600 करोड़ रुपये।
- बायोमास कार्यक्रम: ब्रिकेट और पेलेट्स के निर्माण में सहायता देने और उद्योगों में बायोमास (गैर-बैगास) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना। CFA परिव्यय: 158 करोड़ रुपये।
- बायोगैस कार्यक्रम: 100 करोड़ रुपये के CFA परिव्यय के साथ पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।

9. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किया गया था। इस योजना में 19,744 करोड़ रुपये के CFA परिव्यय के साथ, वर्ष 2030 तक कम से कम 5 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता की व्यवस्था है।

10. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA JGUA) के अंतर्गत, नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और PVTG बस्तियों/गाँवों के लिए) जिसमें 915 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, उन स्थानों पर ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने का प्रावधान है, जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।
